

# सामान्य चीनी दान निधि और विशेष सहायता निधि (जनरल चाइनीज चैरिटीज फंड एंड स्पेशल एड फंड)

## परिचय

जनरल चाइनीज चैरिटीज फंड (GCCF) और स्पेशल एड फंड (SAF) का उद्देश्य हांगकांग के उन निवासियों को आपातकालीन सहायता प्रदान करना है जो प्राकृतिक आपदाओं या दुर्घटनाओं से प्रभावित हैं और जिन्हें तत्काल सहायता की आवश्यकता है। GCCF चीनी जाति समुदाय के जरूरतमंद परिवारों या व्यक्तियों को आपातकालीन राहत प्रदान करता है, जबकि SAF गैर-चीनी जाति समुदाय के जरूरतमंद परिवारों या व्यक्तियों को लक्षित करता है। सभी आवेदन संबंधित जिला कार्यालयों (DOs) की मंजूरी के अधीन हैं, और आवेदकों की आर्थिक कठिनाइयों का आकलन किया जाएगा।

## आवेदन विधि

स्थानीय घटनाओं से प्रभावित व्यक्ति संबंधित जिला कार्यालयों (DOs) में आवेदन जमा कर सकते हैं। पूछताछ के लिए, कृपया संबंधित DO से संपर्क करें। DOs के गृह मामलों के पूछताछ केंद्रों के पते और पूछताछ नंबर के लिए कृपया यहाँ [क्लिक करें](#)। ऐसे मामलों के लिए जहाँ हांगकांग के निवासी हांगकांग के बाहर दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में गंभीर रूप से घायल हो गए हों या उनकी मृत्यु हो गई हो, वहाँ आवेदन को अप्रवासन विभाग के माध्यम से गृह मामलों के विभाग मुख्यालय में किया जाना चाहिए।